किशोरी समूह (माड्यूल)

रोजा संस्थान
बलरामपुर

प्रस्तावन

इस किशोरी समूह मॉडल में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार के विषय पर समुदाय स्तर पर गठित किशोरी समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु बनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें बाल संरक्षण के पहलू को पहचाना तथा समाज में ऐसे बच्चों के परिवारों को चिन्हित करना है जिन परिवारों के बच्चे को संरक्षण एवं सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि समाज का हर बच्चा अपना सुरक्षित बचपन पा सके एवं उन्हें विशेष कर शिक्षा व समानता का अधिकार प्राप्त होगा और समाज में व्याप्त बाल श्रम बाल विवाह पर रोक लगेगी

संस्था का परिचय

- **Rural Organization for Social Advancement- "ROSA" एक** समाज सेवी संस्था है, संस्था उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विगत 20 वर्षो से जनहित में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। संस्था निःशुल्क स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा जागरूकता, आजीविका हेतु सहायता, बाल संरक्षण पर बचावात्मक पहल, राहत सहायता, बालिका एवं महिला विकास और कोविड टीकाकरण जागरूकता आदि के मुद्दें पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। संस्था स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित विभागों के साथ साख्य, संवाद व सहयोग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समन्वयन के साथ संस्थागत गतिविधियों का संचालन करती आ रही है।

परियोजना का उद्देश्य

- प्रत्येक बच्चे के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना जिसमे बच्चा परिवार, समाज मे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे।
- ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण संरक्षण समिति मे सम्बन्धित विभाग के साथ मिलकर सहयोग करना।
- ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति में सम्बन्धित विभाग के साथ मिलकर सहयोग करना।
- ग्राम पंचायतों मे बाल हितैषी ग्राम पंचायत हेतु जी0पी0डी0पी0 में बाल संरक्षण हेतु बजट का प्राविधान करने में सम्बन्धित विभाग के साथ मिलकर सहयोग करना।
- बच्चों को साइबर सुरक्षा पर जानकारी देना।
- बाल समूहो का निर्माण करना।
- किशोरी समूह का निर्माण करना।
- बच्चों को कौशल विकास तथा लीडरशीप पर प्रशिक्षण देना।
- ड्रापआउट बच्चों का नामांकन व ठहरांव करने में सम्बन्धित विभाग के साथ मिलकर सहयोग करना।
- बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण से बचाना।
- विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा बाल संरक्षण हेतु प्रयास करने मे सम्बन्धित विभाग के साथ मिलकर सहयोग करना।
- बाल संरक्षण को मजबूत आधार देने हेतु सम्बन्धित विभागों का सहयोग लेना एवं सहयोग प्रदान करना।
- अति–गरीब बच्चों के परिवारो को आजिविका सवंर्धन में सहयोग करना।

किशोरी समूह का परिचय

किशोरी समूह 14 से 18 वर्ष की लडकियों का समूह है जो किशोरी के लिए गठित किया और चलाया जाता है इसके गठन और भागीदारी में जाति, धर्म, क्षमता आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है किशोरी समूह के गठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय में साभी किशोरी की सहभागिता हो और उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके साथ ही किशोरी में इसके लिए एक कौशल भी विकसित हो सके कि वह अन्य किशोरी के लिए भी आवाज़ उठाएं

किशोरी समूह की बैठक के माध्यम से किशोरी उनके गांव में बाल संरक्षण के मुद्दों और बाल अधिकारों के हनन की पहचान करने में अपनी भूमिका निभाती हैं और इस तरह के मुद्दों से ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में अवगत कराती हैं बाल समूह के दो चयनित सदस्य ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक में भाग लेते हैं

किशोरी समूह महीने में एक या दो बार अपनी बैठक करती है जिसके संचालन और प्रतिवेदन (रिपोर्ट) लिखने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता मदद करते है कार्यकर्ता समूह के सदस्य नहीं होते और इसलिए बच्चों किशोरीयो द्वारा लिए गए किसी भी मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करते बच्चों किशोरीयो द्वारा मदद मांगने पर सामुदायिक कार्यकर्ता समूह का सहायता कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं|

बाल अधिकार

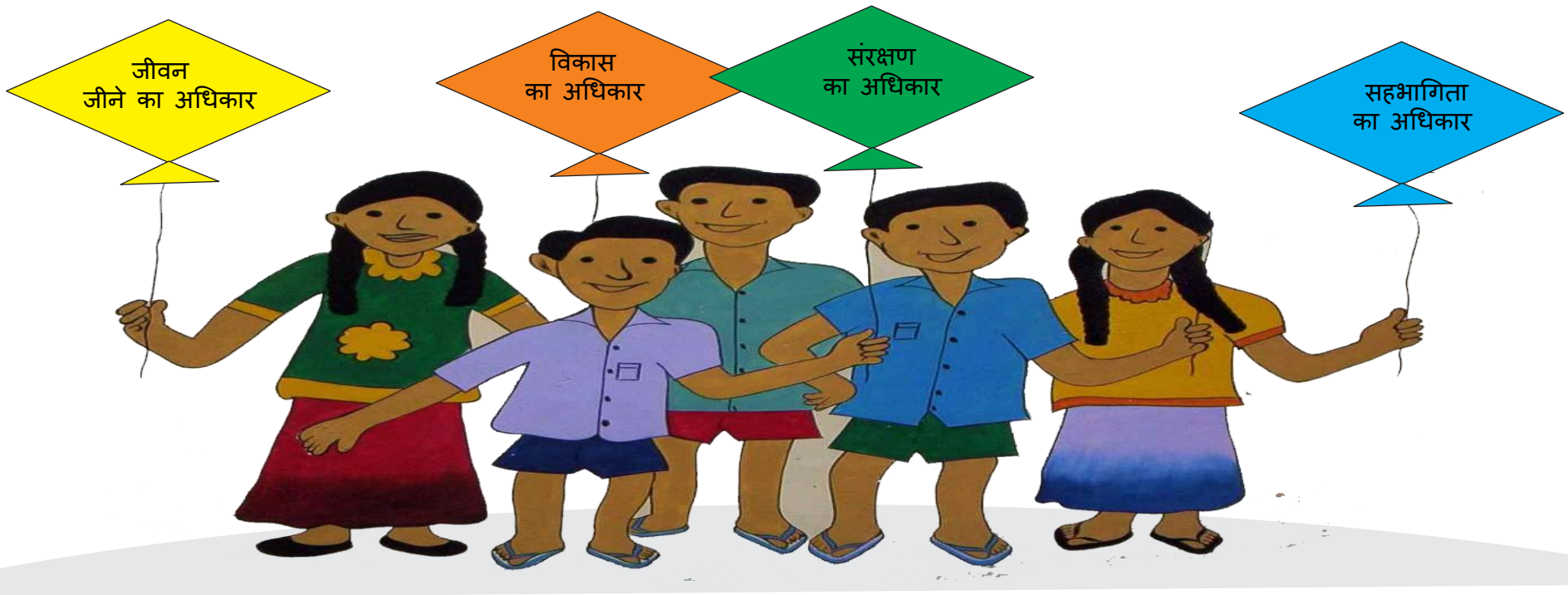

किशोरी समूह का उद्देश्य

किशोरियों को सोचने, संवाद कायम करने , समझना और विचारों का आदान-प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने का प्रभावित तरीका है समूह के सदस्य उन प्रयासों में सहायता प्रदान करते हैं जो अकेले एक व्यक्ति की क्षमता से परे है या एक टीम के रूप में परिणाम अधिक प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है समूह में रहने से एकता की भावना मजबूत होती है एक दूसरे को सुरक्षा मिलती है और किसी भी संकट का सामना मिलजुल कर किया जा सकता है एक दूसरे की मदद आसानी से की जा सकती है

किशोरी संरक्षण के मुद्दे जिन पर बल समूह नजर रखते हैं वह निम्नांकित है

1-शिक्षा
2-बाल तस्करी
3- बाल श्रम
4- बाल विवाह
5- दुर्व्यवहार
6- अपेक्षा
7-शोषण
8 अन्य मुद्दे

इन विषयों पर किशोरियों के अधिकारों के अनुसार चर्चा की जाएगी इसका उद्देश्य गांव में प्रत्येक बच्चे के अधिकार को सुनिश्चित करना है

किशोरी समूह का प्रभाव

बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना

बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना

क्रियाशील जेंडर संवेदनशील संस्थागत तंत्र जो की विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शायेगा

लड़कियों और महिलाओं के सहायक वातावरण निर्माण के लिए सभी हित धारकों में समन्वय और उनकी सक्रिय भागीदारी

जेंडर आधारित भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर पंचायत की बढ़ती जागरूकता

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पास्को)तथा अन्य जेंडर संबंधित अधिनियमों और नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन

सभी विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन में जेंडर संवेदनशीलता

महिलाओं और लड़कियों की लिए योजनाओं सेवाओं तक बढ़ती हुई पहुंच

लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित और निर्मित वातावरण का स्थापना

रोजा संस्था सभी सहभागियों से बच्चों की प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा सहभागिता और प्यार की अपील करती है

Thanks